

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डाँ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष न.: 0141-2711938, 2711978

क्रमांक: एफ4(36)संस्थापन/असमावि/जिअसकअ/पार्ट-II/2018/16463

दिनांक :- 26-12-19

आदेश

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 5229 दिनांक 02.07.19 के क्रम में साक्षात्कार कमेटी के द्वारा अभिशिषित पैनल का सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया। पैनल में से चयनित अभ्यर्थियों को उनके पैतृक विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासनिक विभाग के निर्देशानुसार निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों/कार्यालयों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर निम्नानुसार प्रतिनियुक्त/पदस्थापित किया जाता है :-


क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापित स्थान
1	श्री नन्दराम जयपाल	प्राध्यापक-अंग्रेजी, रा.उ.मा.वि., सांड़ियों का तला (धनाउ), सेडवा, बाडमेर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाडमेर
2	श्री रत्ती खान	प्राध्यापक-उर्दू, रा०आ०उ०मा०वि०, धौसिंगा, पहाडी, भरतपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, धौलपुर
3	श्री गोपाल चन्द्र जीनगर	प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान, रा०आ०उ०मा०वि०, थाणा, भीलवाडा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजसमन्द
4	श्री ब्रह्मप्रकाश आर्य	प्राध्यापक-संस्कृत, रा०उ०मा०वि०, कुआं, चिखली, झुंजरपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बांसवाडा
5	श्री मदनलाल	प्राध्यापक-वाणिज्य, आ०रा०उ० मा०वि०, रानीवाडा, जालौर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जालौर
6	श्री राजेश कुमार कालवा	प्राध्यापक-अंग्रेजी, रा.आ.उ.मा.वि. ,तोषीना, डीडवाना, प.स. मौलासर, नागौर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नागौर
7	श्री दिनेश कुमार मीणा	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., नैनवा, बूंदी	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बारां
8	श्री अशोक कुमार गुप्ता	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., डोराई बेगू, चित्तौडगढ	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ
9	श्री अजय कुमार भार्गव	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., डबली बांस कुतुब, ब्लॉक पीलीबंगा, हनुमानगढ	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पाली
10	श्री प्रदीप कुमार कछवाह	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., हौथीगांव पं. स. चितलवाना, जालौर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बून्दी
11	मो० अनीस	प्रधानाचार्य, रा.आ.उ.मा.वि. , गांगियासर, झुंझुनूं	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झुंझुनूं

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन की शर्तें निम्नानुसार प्रभावी रहेगी :-

- वर्तमान में कार्यरत समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिकों की सेवावधि समाप्त होने पर क्र.सं. 01 से 11 पर वर्णित कार्मिक दिनांक 13.01.2020 को कार्यग्रहण करेंगे।
- प्रतिनियुक्ति आदेश सामान्य रूप से 01 वर्ष अथवा विभाग में नियमित अधिकारी के पदस्थापन की तिथि (जो भी पहले हो) तक मान्य रहेगा।

[Handwritten Signature]

3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों के कार्य की समीक्षा 01 वर्ष की अवधि के उपरांत ही प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
4. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी की सेवा शर्तें राज्य सरकार के प्रचलित नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रभावी रहेंगी।



(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांक: एफ4(36)संस्थापन/असमावि/जिअसकअ/पार्ट-II/2018/16464-503

दिनांक :- 26-12-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, कार्यालय हाजा।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
5. जिला कलक्टर
6. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय हाजा।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय
9. संबंधित मुख्य/ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी
10. संबंधित जिला परियोजना समन्वयक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण हेतु तत्काल कार्यमुक्त करावें।
11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
12. संबंधित अधिकारीगण
13. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त निदेशक